

## भारत में धार्मिक स्वतंत्रता

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित अमेरिकी वंदिश मंत्रालय के राज्य वंभिग की एक रपिर्त में यह कहा गया था कि भारत सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की रकषा करने में वंफिल रही है। इसके प्रत्युत्तर में भारत के वंदिश मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी देश को भारत के जीवंत लोकतंत्र और वंधि के शासन के बारे में आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है।

### प्रमुख बंदि:

- यह रपिर्त इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस रपिर्त को व्यक्तगित रूप से जारी करने वाले अमेरिकी वंदिश मंत्री माइक पोम्पैओ की हाल ही में आधिकारिक यात्रा भी प्रस्तावति है। इसको जारी करने के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता को 'बेहद व्यक्तगित' (deeply personal) प्राथमिकता के रूप में संदर्भति कयिा गया।
- रपिर्त के अनुसार, केंद्र और वंभिनिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मुस्लिम समुदाय को परेशान करने वाले कदम उठाए।
- गाय के संबंध में भीड़ द्वारा इसिा और हत्याओं के साथ ही अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थानों को कमजोर करने, इलाहाबाद जैसे शहरों के नाम पर विरति कर प्रयागराज करने से भारतीय बहुलवादी संस्कृति को चोट पहुंची है, जैसे बंदिओं को रपिर्त ने प्रमुखता से प्रस्तुत कयिा है।
- रपिर्त में भाजपा और उसके कई नेताओं को अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भड़काऊ भाषण, असम में [राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर](#) (National Register of Citizen- NRC) और राज्यों में मुस्लिम समुदाय को लक्षति करने संबंधी वंशिषि्ट बंदिओं का भी उल्लेख कयिा गया है।
- सरकार ने इसके जबाब देते हुए कहा है कि "भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, जहाँ संविधान **धर्मनरिपेक्षता का परचायक** है तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करता है और साथ ही लोकतांत्रिक शासन और वंधि के शासन को बढ़ावा भी देता है।"

### भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान

- भारत का संविधान धर्मनरिपेक्ष है क्योंकि संविधान किसी धर्म वंशिष को मान्यता नहीं देता है। भारतीय धर्मनरिपेक्षता की अवधारणा पश्चिमी धर्मनरिपेक्षता से भिन्न है क्योंकि पश्चिमी की पूर्णतया अलगाववादी नकारात्मक अवधारणा के बजाय भारत में समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संविधानिक मान्यता प्रचलति है।
- भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में धर्मनरिपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से धर्मनरिपेक्षता शब्द को शामिल कयिा गया।
- किसी भी व्यक्त को कानून के समक्ष समान समझा जायेगा (अनु 14), साथ ही किसी भी व्यक्त से धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं कयिा जा सकता है। (अनु.15)
- सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे (अनु.16)।
- प्रत्येक व्यक्त को किसी भी धर्म के अनुपालन की स्वतंत्रता है और इसमें पूजा अर्चना की भी व्यवस्था शामिल है। (अनु 25)
- किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी प्रकार के धार्मिक नरिदेश नहीं दिये जा सकते हैं। (अनु 28)
- राज्य सभी नागरिकों के लिये समान नागरिकिंहति (Uniform Civil Code) बनाने का प्रयास करेगा। (अनु 44)
- इसके अतिरिक्त मूल अधिकारों को अनुच्छेद 32 के तहत वंशिष रूप से संरक्षति कयिा गया है।

### स्रोत- द हंदि

